भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2297
जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2025 को दिया जाना है ।
17 श्रावण, 1947 (शक)

यौन संबंधी स्पष्ट डीपफेक के निर्माण और वितरण को विनियमित करने के लिए कानून

2297. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) के परामर्श के तहत बताए गए प्रावधानों के अतिरिक्त, यौन संबंधी स्पष्ट डीपफेक के निर्माण और वितरण के विरुद्ध विशिष्ट कानून लाने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सहमति के बिना यौन संबंधी स्पष्ट डीपफेक सामग्री के निर्माण और प्रसार में लिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं को विनियमित और दंडित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसा कि ब्रिटेन सरकार ने कार्यान्वित किया है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा संचालित 'डीपफेक' से उत्पन्न खतरों से अवगत है, जिसमें सिंथेटिक ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट शामिल हैं। ऐसी सामग्री किसी व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा और गोपनीयता के अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। यह प्लेटफ़ॉर्म संबंधी जवाबदेही को लेकर भी चिंताएँ पैदा करती है।

उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने डीपफेक चुनौती के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने वाले निम्नलिखित कानून बनाए हैं जो निम्नानुसार हैं:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम")

- पहचान की चोरी (धारा 66ग), प्रतिरूपण (धारा 66घ), गोपनीयता उल्लंघन (धारा 66ड़), अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना (धारा 67, 67क) जैसे अपराधों को शामिल करता है
- विशिष्ट जानकारी/लिंक तक अभिगम को अवरुद्ध करने के लिए मध्यस्थों को अवरुद्ध आदेश जारी करने का प्रावधान (धारा 69क)
- गैरकानूनी कार्य करने के लिए इस्तेमाल की जा रही जानकारी को हटाने के लिए मध्यस्थों को नोटिस जारी करने के प्रावधान (धारा 79)

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") – प्लेटफ़ॉर्म संबंधी जवाबदेही सुनिश्चित करना:

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ("एमईआईटीवाई") ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, एआई सहित प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उभरते नुकसान को दूर करने के लिये आईटी नियम, 2021 (वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में संशोधित) को अधिसूचित किया है।
- नियम मध्यस्थों को सम्यक सावधानी बरतने और स्वयं या उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा गैरकानूनी सामग्री की होस्टिंग या प्रसारण को रोकने का आदेश देते हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम") – यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत डेटा को उपयोगकर्ता की सहमति और यथोचित सरंक्षा सुरक्षा उपायों के साथ डेटा फ़िड्यूशरीज़ (एआई कंपनियों सहित) द्वारा कानूनी रूप से संसाधित किया जाता है। सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने वाले डीपफेक हेतु इस अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान किया गया हैं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 ("बीएनएस")– धारा 353 का उद्देश्य झूठे या भ्रामक बयान, अफवाहें या रिपोर्ट करने के कृत्य को दंडित करके गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रचार-प्रसार पर अंकुश लगाना है जो सार्वजनिक शरारत या भय पैदा कर सकते हैं। डीपफेक सामग्री से जुड़े संगठित साइबर अपराधों पर धारा 111 के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

ये अधिनियम और इसके अंतर्गत नियम-निर्माण, जहाँ तक लागू हो, प्रौद्योगिकी-तटस्थ रहते हैं- क्योंकि प्रावधान इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होते हैं कि सामग्री एआई-जनित है या नहीं। इसलिए, एआई-आधारित नुकसान भी मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई योग्य हैं।

सरकार एआई-जनित नुकसान से जुड़े मामलों सहित मौजूदा कानूनों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।

- इस दिशा में, दिनांक 26.12.2023 और 15.03.2024 को परामर्शी निदेश जारी किए गए, जिसके माध्यम से मध्यस्थों को आईटी नियम, 2021 के तहत सम्यक सावधानी बरतते हुए उल्लिखित दायित्वों के बारे में याद दिलाया गया और दुर्भावनापूर्ण 'सिंथेटिक मीडिया' और 'डीपफेक' सहित गैरकानूनी सामग्री से बचने की सलाह दी गई।

इन परामर्शी निदेशों में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित निदेश भी शामिल किए गए हैं -

- मध्यस्थों को गलत सूचना या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने वाली जानकारी की पहचान करनी चाहिए और उसे हटाना चाहिए, जिसमें डीपफेक का उपयोग करके बनाई गई जानकारी भी शामिल है।

- उपयोगकर्ताओं को यह भी अवगत कराया जाना चाहिए कि ऐसी सामग्री गलत या भ्रामक हो सकती है।

- मध्यस्थों को आदेश में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर शिकायत अपीलीय समिति के आदेशों का पालन करना चाहिए और एक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।

- अविश्वसनीय या कम परीक्षण किए गए एआई मॉडल या एल्गोरिदम आदि भारत में उपयोग के लिए तभी उपलब्ध होने चाहिए जब आउटपुट की संभावित अंतर्निहित अविश्वसनीयता को यथोचित रूप से चिह्नित किया जाए और उपयोगकर्ताओं को ऐसी अविश्वसनीयता के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

आईटी नियम, 2021 के तहत प्रमुख प्रावधान:

प्रावधान	**विवरण**
नियम 3 (1) (ख) के तहत प्रतिबंधित जानकारी	अन्य बातों के अलावा, ऐसी जानकारी/सामग्री को प्रतिबंधित करती है, जो • अश्लील, पोर्नोग्राफिक, निजता का हनन करने वाली, या घृणा या हिंसा को बढ़ावा देने वाली हो; • बालकों को नुकसान पहुँचाती हो; • डीपफेक के माध्यम से गुमराह या धोखा देती हो; • एआई सहित दूसरों का प्रतिरूपण करती हो; • राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो; • किसी भी लागू कानून का उल्लंघन करती हो;
उपयोगकर्ता जागरूकता दायित्व	मध्यस्थों को सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता अनुबंधों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को गैर-कानूनी सामग्री साझा करने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए, जिसमें सामग्री हटाना, खाता निलंबन या समाप्ति शामिल है.
सामग्री हटाने में जवाबदेही	मध्यस्थों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालती आदेश, सरकारी नोटिस या उपयोगकर्ता शिकायतों पर गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए शीघ्रता से कार्य करना चाहिए।
शिकायत निवारण	• मध्यस्थों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने होंगे • 72 घंटों के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाने के माध्यम से शिकायतों समाधान करना अनिवार्य। • गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली, व्यक्तियों का प्रतिरूपण करने वाली या नग्नता दिखाने वाली सामग्री को ऐसी किसी भी शिकायत के विरुद्ध 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।
शिकायत अपीलीय समितियां (जीएसी) तंत्र	यदि मध्यस्थों के शिकायत अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है, तो उपयोगकर्ता www.gac.gov.in पर ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। जीएसी सामग्री मॉडरेशन निर्णयों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएसएमआई) (अर्थात, भारत में **50** लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों) **के अतिरिक्त दायित्व**	• संदेश सेवाएँ प्रदान करने वाले एसएसएमआई को गंभीर या संवेदनशील सामग्री के स्रोत का पता लगाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करनी होगी। • एसएसएमआई को गैरकानूनी सामग्री का पता लगाने और उसके प्रसार को सीमित करने के लिए स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना होगा। • एसएसएमआई को अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होंगी, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी, और अनुपालन तथा कानून प्रवर्तन समन्वय के लिए भारत में स्थित भौतिक पते साझा करने होंगे। • एसएसएमआई को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने से पहले स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन, आंतरिक अपील और निष्पक्ष सुनवाई की सुविधा प्रदान करनी होगी

भारत के बहुस्तरीय साइबर प्रतिक्रिया इकोसिस्टम में साइबर अपराधों, उपयोगकर्ता शिकायतों और डीपफेक सहित गैरकानूनी सामग्री से बचने के लिए संस्थागत, नियामक, रिपोर्टिंग और जन जागरूकता तंत्र शामिल हैं:

- **जीएसी**– मध्यस्थों के निर्णयों को चुनौती देने के लिये केंद्रीय स्तर पर एक अपीलीय मंच प्रदान करना।

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)** – राज्यों में साइबर अपराधों से संबंधित कार्रवाइयों का समन्वय करता है। आईटी नियम, 2021 के साथ पठित आईटी अधिनियम के तहत डीपफेक सहित गैरकानूनी सामग्री को हटाने या अक्षम करने के लिये एजेंसियों को नोटिस जारी करने का अधिकार देता है।

- **सहयोग पोर्टल (आई4सी द्वारा प्रबंधित)** – मध्यस्थों को स्वचालित, केंद्रीकृत निष्कासन नोटिस जारी करने में सक्षम बनाता है। भारत भर की सभी अधिकृत एजेंसियाँ गैरकानूनी सामग्री को हटाने का अनुरोध करने के लिए इसका उपयोग करती हैं।

- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल** – नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से https://cybercrime.gov.in पर घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। डीपफेक, वित्तीय धोखाधड़ी और सामग्री के दुरुपयोग की रिपोर्ट की जा सकती है। एक हेल्पलाइन नंबर 1930 भी चालू है।

- **सर्ट–इन-** भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट–इन) नियमित रूप से डीपफेक सहित एआई से संबंधित खतरों और प्रतिउपायों पर दिशानिर्देश जारी करती है। सर्ट–इन ने नवंबर 2024 में डीपफेक खतरों और प्रतिउपायों पर एक परामर्शी निदेश प्रकाशित किया है, जिनका पालन डीपफेक से सुरक्षित रहने के लिए किया जाना चाहिए।

- **पुलिस** – पुलिस अधिकारी साइबर अपराधों की जांच करते हैं।

- **जागरूकता अभियान**– एमईआईटीवाई प्रतिवर्ष अक्टूबर के दौरान साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम), प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा और प्रतिमाह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस (सीजेडी) मनाता है, जिसके तहत भारत में नागरिकों के साथ-साथ तकनीकी साइबर समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

आईटी अधिनियम, बीएनएस और जीएसी, सर्ट–इन और आई4सी जैसे संस्थानों द्वारा समर्थित भारत का साइबर कानूनी ढांचा, ऑनलाइन नुकसान और साइबर अपराधों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है।

******